भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1978
गुरुवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सतत विमानन ईंधन के लिए नियामक तंत्र

1978. श्री तनुज पुनियाः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन नियमों में संशोधन कर विमान ईंधन में एथेनॉल तथा कृत्रिम हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण को वैध बनाया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अधिक ऊंचाई पर उड़ान के दौरान निम्न तापमान के कारण एथेनॉल मिश्रित ईंधन के जमने या इंजन में अवरोध उत्पन्न होने संबंधी तकनीकी चिंताओं के समाधान हेतु अपनाए जा रहे सुरक्षा एवं परीक्षण मानकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2027 तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एक प्रतिशत सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देश में एथेनॉल-आधारित 'अल्कोहल-टू-जेट' संयंत्रों की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): सरकार ने संवहनीय विमानन ईंधन (एसएएफ) के साथ मिश्रित एटीएफ को एटीएफ नियंत्रण आदेश के दायरे में लाने के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2026 की अधिसूचना के माध्यम से विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) (विपणन का विनियमन) आदेश, 2001 (एटीएफ नियंत्रण आदेश) में संशोधन को अधिसूचित किया है।

(ख) और (ग): एसएएफ के लिए सुरक्षा और तकनीकी अपेक्षाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों द्वारा शासित होती हैं। एएसटीएम डी4054 नए विमानन ईंधनों के लिए योग्यता और प्रमाणन प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जिसमें प्रयोगशाला, इंजन और उड़ान परीक्षण शामिल हैं ताकि यह स्थापित किया जा सके कि वे पारंपरिक विमानन टर्बाइन ईंधन के कार्य निष्पादन और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। एएसटीएम डी7566 एसएएफ के लिए अनुमोदित उत्पादन पाथवे और मिश्रण संबंधी अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करता है, जबकि एएसटीएम डी1655 अंतिम मिश्रित विमानन टर्बाइन ईंधन के लिए विनिर्देशों को निर्धारित करता है। तदनुसार, केवल एएसटीएम-अनुमोदित पाथवे के माध्यम से उत्पादित और निर्धारित सीमाओं के भीतर मिश्रित एसएएफ को विमान के लिए उपयोग किए जाने की अनुमति है।

सरकार ने अंतरराष्ट्रीय परिचलनों के लिए पारंपरिक एटीएफ में एसएएफ के सम्मिश्रण हेतु वर्ष 2027 तक 1%, वर्ष 2028 तक 2% और वर्ष 2030 तक 5% के सांकेतिक सम्मिश्रण लक्ष्यों को

अनुमोदन प्रदान किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां घोषित सम्मिश्रण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।
